उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार वर्मा

15 दिसंबर, 2022

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र क्रमांक 248 वर्ष 2022

दीपक शर्मा आवेदक

और

उत्तराखंड राज्य। .प्रतिवादी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

श्री पवन मिश्रा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से अधिवक्ता

श्री ललित मिगलानी, सहायक शासकीय अधिवक्ता।

माननीय आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति

धारा 8/20/60 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसके बाद 'अधिनियम, 1985 के रूप में संदर्भित) के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन, मुनि–की–रेती, जिला टेहरी गढ़वाल में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 81/2021 के संबंध में नियमित जमानत देने के लिए वर्तमान में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया गया है।

2. प्रथम जमानत अर्जी संख्या 360/2022 को समन्वय पीठ ने दिनांक 12.10.2022 को खारिज कर दिया था।

3. आवश्यक सीमित सीमा तक तथ्य यह है कि दिनांक 02.10 2021 को उपनिरीक्षक विकास शुक्ला अन्य पुलिस कर्मियों के साथ अपने पुलिस चौकी क्षेत्र में चेकिंग हेतु उपस्थित थे, जहां उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक मारुति ज़ेन कार, पंजीकरण संख्या

न0 07–4014 में चरस लेकर आ रहे हैं, और, यदि छापेमारी की जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। तदनुसार, एक छापेमारी की गई। उक्त वाहन को रोक लिया गया। पुलिस दल ने पाया कि उक्त कार में दो व्यक्ति बैठे थे। वर्तमान आवेदक बगल की सीट पर बैठा था। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम और पता बताया उन्होंने बताया कि वे चरस ले जा रहे थे। उपनिरीक्षक विकास शुक्ला ने उन्हें उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया कि वे चाहें तो मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में उनकी तलाशी ली जा सकती है। उपस्थित आवेदक ने किसी भी अधिकारी के समक्ष तलाशी लिये जाने हेतु अपनी सहमति दी। लगभग 20.08 बजे, उपनिरीक्षक विकास शुक्ला ने श्री आर.के.चमोली, पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्रनगर, को उनके मोबाइल नंबर 9411112788 पर सूचना दी। बीस मिनट बाद श्री आर.के. चमोली मौके पर आये। उनकी मौजूदगी में तलाशी ली गयी उपस्थित आवेदक की व्यक्तिगत तलाशी से चरस बरामद हुई। वजन करने पर उपस्थित आवेदक के पास से बरामद चरस का वजन 1 किलो 170 ग्राम पाया गया। उक्त कार की भी तलाशी ली गयी। उक्त कार की तलाशी के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद किसी भी सार्वजनिक गवाह को सुरक्षित नहीं किया जा सका। मौके पर वीडियोग्राफी भी कराई गई। उक्त बरामद तस्करी को रासायनिक जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया । जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया।

4. आवेदक की ओर से विद्वान वकील श्री पवन मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री ललित मिगलानी को सुना।

5. वर्तमान आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ताश्री पवन मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है; उसे झूठा फंसाया गया है; वर्तमान आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ; गुप्त सूचना एक अराजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई थी, इसलिए उक्त अधिनियम, 1985 की धारा 42 के प्रावधान लागू होंगे, जबकि धारा 42 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

6. उक्त दलीलों के समर्थन में, श्री पवन मिश्रा, अधिवक्ता, ने "जी. श्री निवास गौड़ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य" (2005) 8 एससीसी 183, "दर्शन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2016) 14 एससीसी 358 और "शेखर सुमन वर्मा बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधीक्षक और अन्य" (2016) 11 एससीसी 368 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

7. राज्य कीओरसे विद्वान अधिवक्ता श्री ललित मिगलानी ने द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई योग्य नहीं है।

8. दिनांक 12.10.2022 को, अधिवक्ता श्री पवन मिश्रा ने समन्वय पीठ के समक्ष तर्क दिया था, "यह अधिनियम की धारा 42 के गैर–अनुपालन का मामला है, क्योंकि जो अधिकारी छापेमारी टीम का नेतृत्व कर रहा था, वह अधिनियम की धारा 41 के तहत अधिकृत अधिकारी नहीं था। वह एक अधिकारी था, जो अधिनियम की धारा 42 के तहत तलाशी ले सकता था, लेकिन, उसने अधिनियम की धारा 42 के तहत आवश्यक खोज की रिपोर्ट नहीं दी।''

9.उक्त तिथि 12.10.2022 को राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित मिगलानी ने यह प्रस्तुत किया थाकि "यह अधिनियम की धारा 42 के आवेदन का मामला नहीं है। वास्तव में, यह व्यक्तिगत तलाशी से बरामदगी का मामला है और आवेदक को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी किए जाने का विकल्प दिया गया था।

10. दिनांक 12.10.2022 को समन्वय बेंच ने निम्नलिखित आदेश दिया थाः–

"6. यह सत्य है कि छापेमारी टीम का नेतृत्व एक सब–इंस्पेक्टर कर रहा था, लेकिन तथ्य यह है कि बरामदगी से पहले राजपत्रित अधिकारी को बुलाया गया था।

7. उ.प्र.नारकोटिक्स ड्रग्स नियम, 1986, के नियम 76 के अंतर्गत. पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

8. शेखर सुमन वर्मा बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधीक्षक और अन्य, (2016) 11 एससीसी 368, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम. प्रभुलाल बनाम सहायक निदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय, (2003) 8 एससीसी 449 के मामले में फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया है कि जब अधिनियम की धारा 41 के तहत कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्वयं तलाशी ली जाती है, तो अधिनियम की धारा 42 की सभी आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक नहीं है।

9. यह सत्य है कि जब वाहन रोका गया, उस समय तक कोई राजपत्रित अधिकारी मौजूद नहीं था, लेकिन तलाशी राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में की गई थी। इसलिए, अधिनियम की धारा 42 के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है।

10. व्यक्तिगत तलाशी से बरामदगी की गई। आवेदक को धारा 50 के तहत विकल्प दिया गया था।कथित तौर पर बरामद मात्रा व्यावसायिक है।

11. विचार करने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। तदनुसार, जमानत आवेदन पत्र बर्खास्त किये जाने योग्य है।

12. जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।"

11. उक्त अधिनियम, 1985 की धारा 2(XXIII-a) और धारा 2(vii-a) की तालिका के अनुसार, 100 ग्राम चरस छोटी मात्रा है और 1 किलो से अधिक चरस वाणिज्यिक मात्रा है (प्रवेश)

12. अधिनियम, 1985 की प्रस्तावना से पता चलता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य स्वापक औषधि से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है तथा स्वापक औषधि और मनोदैहिक पदार्थों आदि से संबंधित संचालन के नियंत्रण और विनियमन के लिए कड़े प्रावधान करना है।

13. इस स्तर पर, अधिनियम, 1985 की धारा 37 के प्रावधान पर ध्यान देना उचित प्रतीत होता है। अधिनियम, 1985 की धारा 37 का प्रावधान निम्नलिखित प्रभावों के लिए हैः –

धारा 37. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना–(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, –

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ; (ख) (धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधो ंके लिए भी दंडनीय किसी अपराध) के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचल के पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब–

(i) लोक अभियोजक को ऐसी नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन करने का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के संबंध में ये परिसीमाएं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं ।

14. अधिनियम, 1985 की धारा 37 में उक्त धारा के तहत सूचीबद्ध कुछ अपराधों के संबंध में जमानत देने के संबंध में विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। वे हैं– (i) धारा 19 के तहत

दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति के मामले में, (ii) धारा 24 के तहत, (iii) धारा 27–ए के तहत, और (iv) वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए।

15. वर्तमान मामले में आरोप वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में है। एक बार जब सरकारी वकील सूचीबद्ध अपराधों के आरोपी व्यक्ति के जमानतप्रार्थनापत्र का विरोध करता है, और यदि, अदालत ऐसे व्यक्ति को जमानत देने का प्रस्ताव करती है, तो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या कोई अन्य अधिनियमके प्रावधानों के तहत सामान्य आवश्यकताओं के अलावा दो शर्तों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होता है। (1) न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। वर्ष 2020 आपराधिक अपील संख्या 154–157 , केरल राज्य बनाम राजेश और अन्य,के मामलेमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24.01.2020 को माना है कि अभिव्यक्ति "उचित आधार" का अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है, और (ii) उस व्यक्ति द्वारा जमानतपर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह विधायिका का आदेश है जिसका पालन किए जाने की आवश्यकता है। गैर–अप्रत्याशित खंड जिसके साथ यह धारा प्रारंभ होती है उसको उचित अर्थ दिया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से इसका उद्देश्य जमानत देने की शक्तियों को प्रतिबंधित करना है। बाजार में नशीली दवाओं और मनो दैहिक पदार्थों की बाढ़ के खतरे को रोकने के लिए, संसद ने यहप्रावधान किया है कि अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को मुकदमे के विचारण के दौरान तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिनियम, 1985 की धारा 37 के तहत अनिवार्य शर्तें संतुष्ट न की जाएं।

16. मप्र राज्य बनाम काजाद, (2001) 7 एससीसी 673, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जमानत को अस्वीकार करना साधारण नियम है और यह अधिनियम, 1985 की धारा 37(1) के खंड (ख) के (ii) के तहत एक अपवाद देता है।

17. आपराधिक अपील संख्या 154–157वर्ष 2020 (उपरोक्तवर्णित) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत के मामले में उदार दृष्टिकोण अनावश्यक है।

18.इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जमानत का आदेश मनमाने या काल्पनिक तरीके से नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, यह नहीं कहा जा सकता है कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनिवार्य शर्तें पूरी कर ली गई हैं। जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के अवलोकन से, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक इस अपराध में शामिल था।आवेदक को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं पाया गया है, इसलिए इस स्तर पर आवेदक को जमानतपर रिहा करने का कोई उचित आधार नहीं है।

19. मध्य प्रदेश राज्य बनाम . काजाद, (2001)7 एससीसी 673, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यह सच है कि बदली हुई परिस्थितियों में क्रमिक जमानत आवेदन स्वीकार्य हैं। लेकिन परिस्थितियों में बदलाव के बिना, दूसरे जमानत प्रार्थना पत्र को पहले प्रार्थनापत्र के फैसले की समीक्षा की मांग के रूप में माना जाएगा, जो कि आपराधिक कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है।

20. महाराष्ट्र राज्य बनाम कैप्टन बुद्धिकोटा सुभा राव,और 1989 एससी 2292,में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है,

"...एक बार जब वह आवेदन खारिज कर दिया गया तो उसी तरह की प्रार्थना देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह वास्तव में तथ्य–स्थिति में परिवर्तन के बिना पहले के फैसले को खारिज करने जैसा है।और जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, तो हमारा मतलब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से है जिसका पहले के निर्णय पर सीधा प्रभाव पड़ता है, न कि केवल दिखावटी परिवर्तन जिनका बहुत कम या कोई परिणाम नहीं होता...

21. इसलिए, आवेदक के लिए यह विकल्प खुला नहीं है कि वह समन्वय पीठ द्वारा पहले ही खारिज किए गए आधार पर भी लगातार जमानत आवेदन कर सके।

22.प्रार्थनापत्र पर समग्र रूप से विचार करने पर और इस तथ्य पर भी कि गुण–दोष के आधार पर पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव स्थापित नहीं हुआ है, मुझे वर्तमान द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र पर विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र विचार योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप, वर्तमान द्वितीय जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत आवेदन के संबंध में की गई टिप्पणियाँ इस स्तर पर पक्षों द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों के आलोक में विनिश्चय तक सीमित हैं कि जमानत आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। उक्त टिप्पणियाँ मामले के विचारण को प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक 15 दिसंबर, 2022.

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा